

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या
48/2024

तारीख रज्जू
25.06.2024

तारीख निर्णय
27.05.2025

बउनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. छोटेराल पुत्र फैली, निवासी खेडली नारायणसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. मंगली पत्नी सेडया, निवासी खेडली नारायणसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. रमेशचन्द पुत्र सेडया, निवासी खेडली नारायणसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. सदाराम पुत्र सेडया, निवासी खेडली नारायणसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. प्रार्थी - तहसीलदार बैजूपाडा।

प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अभिलिखित करने
अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू-राजस्व
(भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86

निर्णय

1. तहसीलदार मण्डावर द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रभावी नियम व अधिसूचनाओं के अनुसरण में, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक -पं. 3(2) एवं भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत मौके पर स्थायी रूप से प्रचलित/चालू रास्तों को राजस्व अभिलेखों में अंकित करने बाबत प्रस्ताव ग्राम किशोरपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत् 2072-2075 अनुसार आराजी के खसरा सं. 241/0.72 किस्म वारानी 1 में से 0.0160 हैक्टे., 266/247/0.06 किस्म चाही 2 में से 0.0064 हैक्टे. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर प्रचलित रास्तों का उक्त भूमि गै.मु. रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की अभिशंका के साथ प्राप्त हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि के निजी खातेदार परभातीलाल पुत्र दुण्डायानाथ को अपना पक्ष दिनांक 16.07.2024 को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। खातेदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत की है।

3. प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट, नक्शा टैक्स, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)



के मुताबिक, उपरोक्त भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है, उपरोक्त भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही है, भूमि का संलग्न मानचित्र (नक्शा ट्रेस) में लाल स्याही से अंकित किया हुआ है। तहसीलदार मण्डावर ने इस प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। उक्त खसरो के खातेदार ने इस बाबत अपनी सहमति प्रदान की है।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मण्डावर के द्वारा प्रस्तावित आराजी खसरा सं. 241/0.72 में से 0.0160 हैक्टे., 266/247/0.06 में से 0.0064 हैक्टे. वाके राजस्व ग्राम किशोरपुर, पटवार हल्का रायपुर, तहसील मण्डावर जिला दौसा को मानचित्र एवं राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

5. राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक-पं.3(2) राज.-6/2008/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है एवं खातेदार की सहमति के आधार पर, आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रस्तावित मौके पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु ग्राम किशोरपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा के ऑनलाईन जमाबन्दी संवत् 2072-2075 अनुसार, आराजी खसरा सं. 241 किस्म बारानी 1 में से 0.0160 है., 266/247/0.06 किस्म चाही 2 में से 0.0064 है. को राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी व नक्शा) में बिना टाइटल परिवर्तन किये गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग होगा। तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ तहरीर जारी हो।



(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. यह आदेश राज्य सरकार के प्रभावी नियमों एवं अधिसूचनाओं के आधार पर दिनांक 27.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)